



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1945 (श०)

(सं० पटना ९५१) पटना, शुक्रवार, १० नवम्बर २०२३

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

९ नवम्बर २०२३

सं० वि०स०वि०-१०/२०२३-३३९७/वि०स० |—“बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, २०२३”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक ९ नवम्बर २०२३ को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-११६ के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
राज कुमार,
सचिव।

[वि०स०वि०-०९/२०२३]

बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) को संशोधित करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना :-

चूँकि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक का पदनाम 'सहायक' से 'सहायक प्रशाखा पदाधिकारी' किया जाना है, इसलिए बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

इसलिए, भारत—गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023" कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह सरकार द्वारा संकल्प/अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) का संशोधनः—

"उक्त अधिनियम में जहाँ—जहाँ 'सहायक' शब्द अकित है, के स्थान पर 'सहायक प्रशाखा पदाधिकारी' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।"

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 में बिहार सचिवालय सेवा के "सहायक" का पदनाम "सहायक प्रशाखा पदाधिकारी" किया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) में "सहायक" के स्थान पर "सहायक प्रशाखा पदाधिकारी" किया जाना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)
भार-साधक सदस्य ।

पटना
दिनांक 09.11.2023

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 951-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>